2–मुख्यमंत्री युवा स्वरोजागर योजना

योजना का परिचय--

यह योजना उ0प्र0 सरकार द्वारा बेरोजगार युवक/युवतियों को सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान लगाना होगा। एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/अल्पसंख्यक 05 प्रतिशत लगाना होगा। इस योजनान्तर्गत सभी के लिए शैक्षिक योग्यता–हाईस्कूल उत्तीर्ण, आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो आवेदन–कर सकते है। योजना के अन्तर्गत समस्त लाभार्थियों को 25 प्रतिशत सब्सिडी परियोजना के 2 वर्ष तक सफल संचालन होने पर देय होगी। राष्ट्रीयकृत/ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण वितरित करने की व्यवस्था है।

परियोजना लागत–

विनिर्माण/उद्योग क्षेत्र के लाभार्थियों को अधिकतम रू0 25.00 लाख एवम् व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के लाभार्थियों को अधिकतम रू0 10.00 लाख तक की परियोजनाओ को लाभान्वित किये जाने की व्यवस्था है।

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र
हरदोई।